लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 5, बुधवार, 29 फरवरी, 1984/10 फाल्गुन, 1905 (शक)

पृष्ठ

सामान्य बजट, 1984-85—प्रस्तुत किया गया 1-27

श्री प्रणब मुखर्जी

वित्त विधेयक, 1984—पुरःस्थापित 27

लोक सभा

बुधवार, 29 फरवरी, 1984/10 फाल्गुन 1905 (शक)

लोक सभा 5 बजे म० प० समवेत हुई

17.00 (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सामान्य बजट

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मन्त्री

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : इस बड़े बजट को प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्या है? **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चकवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह तो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कल यह मामला उठायेंगे। हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कल यह मामला गम्भीरता से उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय वित्त मन्त्री।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मन्त्री महोदय द्वारा बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। ब्रीफकेस की चोरी कैसे हुई थी? ब्रीफकेस में कौन-कौन से कागजात पड़े हुए थे…

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि ब्रीफकेस चोरी हुआ था। वह इसे स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी चुप रहना अच्छा होता है।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं वर्ष 1984-85 का बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

2. यह बजट राष्ट्रीय आय और कृषि के क्षेत्र में हुए प्रबल सुधार और हमारे भुगतान-शेष में हुई उतनी ही प्रभावशाली वृद्धि की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है। दो दिन पहले सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई 'आर्थिक समीक्षा' में इन तथ्यों और अर्थव्यवस्था की अन्य बातों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अतः मैं यहां वर्तमान आर्थिक स्थिति की समीक्षा संक्षेप में ही करूंगा।

3. जैसा कि सदन को मालूम है, देश को 1979-80 से 1982-83 की अवधि में दो वर्ष तक गम्भीर सूखे और एक वर्ष तक कमजोर मानसून की स्थिति से गुजरना पड़ा। खाद्यान्न का उत्पादन जो

1978-79 में 1,320 लाख मेट्रिक टन के स्तर तक पहुंच गया था, परवर्ती वर्ष में घटकर 1,100 लाख मेट्रिक टन रह गया। 1981-82 में यह कुछ बढ़कर 1,330 लाख मेट्रिक टन हो गया, लेकिन भीषण सूखा पड़ने की वजह से फिर 1982-83 में घटकर 1,280 लाख मेट्रिक टन हो गया। चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में काफी अधिक प्रगति हुई है और सम्भावना है कि हम पिछली कमी को पूरा ही नहीं कर लेंगे बल्कि पिछले शिखर स्तर से भी काफी ऊपर निकल जाएंगे। आशा है कि 1983-84 में खाद्यान्न का उत्पादन 1,420 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य से भी आगे बढ़ जाएगा। कृषि के उत्पादन में कुल मिलाकर पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा सम्भवतः 9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सम्मानित सदस्य सहमत होंगे कि यह हमारी कृषि सम्बन्धी कार्य-नीति के ठीक होने और हमारे किसान भाइयों की कड़ी मेहनत का प्रबल प्रमाण है।

4. औद्योगिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में गत वर्ष की अपेक्षा सुधार हुआ है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की गति अब भी धीमी प्रतीत होती है। चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक वृद्धि की दर सम्भवतः 4.5 प्रतिशत के आस-पास रहेगी। जबकि 1982-83 में यह दर 3.9 प्रतिशत थी। 1979-80 के बाद की चार वर्ष की अवधि में औद्योगिक वृद्धि की औसत दर 5 प्रतिशत से थोड़ी सी अधिक बैठेगी। यह औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता से काफी नीचे है। यदि हमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर को ऊंचा रखना है और आगामी वर्षों में अपने बढ़ते हुए श्रमिक वर्ग को रोजगार मुहैया करना है तो हमें औद्योगिक क्षेत्र में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि की दर का लक्ष्य रखना होगा।

5. वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय आय में 6 से 7 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने की सम्भावना है। वर्तमान सरकार के शासन-भार सम्भालने के बाद के इन चार वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की औसत दर लगभग 5.4 प्रतिशत रही है जो किसी भी पिछली आयोजना के पहले चार वर्षों में प्राप्त की गई वृद्धि की दर से ऊंची है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की औसत दर से वृद्धि हुई होगी। यह उपलब्धि अत्यन्त प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण और भीषण सूखे की पृष्ठभूमि में देखने पर और भी उल्लेखनीय प्रतीत होगी।

6. वर्ष 1981-82 और 1982-83 की प्रमुख विशेषता यह थी कि इन वर्षों में मुद्रास्फीति की दर बहुत ही कम रही। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो 1979-80 में 21.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, उसे 1980-81 में 16.7 प्रतिशत पर और उसके बाद 1981-82 के अन्त में केवल 2.4 प्रतिशत के निम्न स्तर पर ला दिया गया। 1982-83 के अन्त में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6.2 प्रतिशत थी जो एक सूखे के वर्ष के लिए असामान्य रूप से नीची है। लेकिन चालू वर्ष के दौरान बहुत बढ़िया फसल होने के बावजूद, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में तेजी से वृद्धि हुई है। मानसून के आने में शुरू में देरी हो जाने और अर्थव्यवस्था में नकदी-बाहुल्य होने से वर्ष के पहले भाग में कीमतों पर दबाव पड़ा। फसल की कटाई के बाद, अच्छी फसल के अनुकूल प्रभावों के कारण अनाज (दालों से भिन्न) की कीमतों में गिरावट आई। किन्तु, आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से कुछ वस्तुओं, जैसे दालों, कतिपय खाद्य तेलों, रबर, चाय और कपास की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो जाने की वजह से इस गिरावट का असर काफी हद तक कम हो गया। इसके परिणामस्वरूप, कीमतों में आम तौर पर सितम्बर के अंतिम दिनों में जो मौसमी गिरावट आया करती है वह कमजोर रही।

7. जैसाकि सदन को मालूम है, सरकार ने सूखे के असर को कम से कम करने और कीमतों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों जैसी संवेदनशील वस्तुओं को

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अधिक मात्रा में खरीदने, उपलब्ध कराने और जारी करने के लिए कार्रवाई की गई। बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान नकदी-बाहुल्य को समेटने और सरकार के व्यय को कम करने के लिए भी कदम उठाए गए। आन्तरिक उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कपास और सी० टी० सी० चाय के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। आवश्यकतानुसार और भी उपाय किए जाएंगे ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके कि 1979-80 जैसा अनुभव फिर न हो जबकि कीमतों में 21 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हो गई थी।

8. अब मैं यह बताऊंगा कि देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी भुगतान की स्थिति कैसी रही है। पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण में मैंने सदन को 1982-83 में हमारे भुगतान-शेष में हुए सुधार की जानकारी दी थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि 1983-84 में इस स्थिति में और भी आगे सुधार हुआ है। व्यापारिक घाटा, जो 1981-82 में 5,800 करोड़ रुपये का था, घटकर 1982-83 में लगभग 5,500 करोड़ रुपए का रह गया और चालू वर्ष में उसके और घट जाने की आशा है। अदृश्य मदों के खाते की प्राप्तियों में भी वृद्धि होती रही है और अनिवासियों को रकमें जमा कराने के लिए जो प्रोत्साहन दिए गए थे वे बहुत ही सफल रहे हैं। हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से की गई निकासियों को हिसाब में शामिल करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष में 10 फरवरी तक 662 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

9. वर्ष 1979-80 में हमारे भुगतान-शेष की स्थिति में तेजी से गिरावट आने के बाद, हमने उसे नियन्त्रण में रखने के लिए जो कार्य-नीति अपनाई थी उससे बहुत फायदा हुआ है। हमारे भुगतानों की स्थिति में सुधार को देखते हुए, सरकार ने स्वेच्छा से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत 1.1 अरब एस०डी०आर० की शेष राशि को न लेने का निश्चय किया है। दिसम्बर, 1981 में इस सदन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण पर चल रही बहस में भाग लेते हुए प्रधानमन्त्री ने कहा था :

> "यह हमें उधार लेने के लिए मजबूर नहीं करता और न ही हम उधार लेंगे जब तक कि उधार लेना राष्ट्र के हित में नहीं होगा। हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम स्वीकार किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता जो कि हमारी घोषित और संसद द्वारा स्वीकृत नीति के अनुकूल न हों। यह तो कल्पनातीत है कि कोई यह सोचे कि हम किसी ऐसी बाहरी एजेंसी से सहायता स्वीकार कर लेंगे जो हमसे ऐसी शर्तें मनवाए जो हमारी इन नीतियों के साथ मेल न खाती हों।"

यह बात उस समय भी सच थी और आज भी सच है।

10. अपने आपको कसांड्रा समझने वाले कई लोगों ने जो सर्वनाश की भविष्यवाणी की थी उसे झूठा साबित करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था हमारे समायोजन प्रयत्नों के फलस्वरूप और अधिक मजबूत हो गई है। हमें जिन भयंकर दुष्परिणामों की चेतावनी दी गई थी उनमें से कोई भी दुष्परिणाम घटित नहीं हुआ। हमने आर्थिक सहायता (सब्सिडी) में कोई कटौती नहीं की है। हमने किसी का वेतन कम नहीं किया है। हमने आयोजन के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया है। हम ऋण संकट में भी नहीं फंसे हैं। हम गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों अथवा अपनी जनता की भलाई से सम्बन्धित अपने वचनों से भी विमुख नहीं हुए हैं। हम भली-भांति सोच-समझकर इस ऋण व्यवस्था में शामिल हुए थे और अब हम शान के साथ इस व्यवस्था से बाहर आ गए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : पुनरावृत्ति है।

श्री प्रणब मुखर्जी : 11. हम आशा करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध शेष राशि को न लेने के हमारे निर्णय से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, कुछ हद तक, अन्य विकासशील देशों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में सहायता देने में मदद मिलेगी। यह सराहनीय है कि विस्तारित कोष सुविधा प्रबन्ध की सम्पूर्ण अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हमारे सम्बन्ध सद्भाव और सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

12. तथापि, आत्मसन्तुष्ट होकर बैठ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें उन नीतियों को आगे भी जारी रखना होगा जिनके ये अनुकूल परिणाम निकले हैं। अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयातों में बचत करने के लिए और निर्यातों में वृद्धि करने के लिए और भी कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। तेल को छोड़कर हमारे बाकी निर्यातों में, 1983-84 के पहले सात महीनों के दौरान 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले कुछ समय से विश्व व्यापार में चल रहे गतिरोध को देखते हुए, यह एक काफी अच्छी प्रगति कही जा सकती है। वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की आयात सम्बन्धी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और ऋण परिशोधन अनुपात को प्रबन्ध योग्य स्तर पर रखने के लिए हमें इससे भी बढ़िया काम करने की जरूरत होगी।

13. सरकार ने सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए साधन जुटाने के हेतु और आयोजना का वित्त-पोषण करने के उद्देश्य से सार्वजनिक बचतों की दर में वृद्धि करने के लिए पिछले चार वर्षों में कई कदम उठाए हैं। कर की दरों के समायोजन के अलावा, वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में बचतों के लिए अधिक प्रोत्साहन देने के लिए भी राजकोषीय साधन का इस्तेमाल किया गया है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, जमा-राशियों पर ब्याज की दरों में वृद्धिकारी संशोधन किए गए। ये नीतियां बहुत ही सफल सिद्ध हुई हैं, और अल्प बचतों तथा सावधिक जमा के रूप में धनराशियों की प्राप्ति आशा से अधिक हुई है। आने वाले वर्षों में राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण काम यह होगा कि वह इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दे।

14. साधन जुटाने की अपनी कार्य-नीति पर विचार करते हुए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे करों की दरें अपेक्षाकृत ऊंची हैं, लेकिन कर का आधार छोटा है। काले धन और कर-अपवंचन की बुराइयों से भी निपटना होगा। सरकार कर-अपवंचकों के साथ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। साथ ही, हमें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो, कर प्रणाली अपने आप में कर-अपवंचन को प्रोत्साहन देने वाला साधन न बन जाए। इसलिए कर प्रणाली को सरल करने और युक्तिसंगत बनाने के कार्य हमारी राजकोषीय नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य बने रहने चाहिएं।

15. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को 1982-83 में 618 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ था। हालांकि सरकारी क्षेत्र के बहुत-से उद्यमों ने 1983-84 में भी लाभ दिखाना जारी रखा, फिर भी उनका कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर आशाओं के अनुरूप नहीं रहा। लाभकारिता में कमी आने का प्रमुख कारण यह था कि इस्पात और कोयला जैसे कुछ क्षेत्रों में हानि हुई थी। सरकार ने उनके कार्यचालन में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पूंजी का उपयोग अधिक कुशलतापूर्वक किया जाए ताकि भविष्य में विस्तार के लिए अधिक साधन उपलब्ध हों।

16. अपनी सामाजिक वचनबद्धताओं को पूरा करने और रोजगार को बचाने के लिए सरकार को बहुत-से रुग्ण एककों को हाथ में लेना पड़ा और नए साधन मुहैया करके चालू रखना पड़ा। हालांकि उनमें से कुछ की हालत ठीक हो गई है, मगर बहुत-से एकक अब भी घाटे में चल रहे हैं। अब समय आ गया है जब कि सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों के कार्य-निष्पादन की भली भांति समीक्षा की जाए ताकि हमारे साधनों पर कम बोझ पड़े। सरकार का ऐसा करने का प्रस्ताव है। आर्थिक सक्षमता ही किसी उद्योग को जीवित रखने की प्रमुख कसौटी होनी चाहिए।

17. चालू वर्ष के दौरान बैंकों के पास जमा-राशियों में जो वृद्धि हुई है वह ऋण विस्तार के लिए उनकी धनराशियों की जरूरतों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। अल्पावधि में, इसके कारण बैंकिंग प्रणाली में कुछ नकदी-बाहुल्य उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में, और सरकारी निवेश के लिए कुछ साधनों को जुटाने के उद्देश्य से, यह वांछनीय समझा जाता है कि एक और वित्तीय योजना चालू की जाए जिसकी विशेषताएं मोटे तौर पर वही हों जो बैंकों की लम्बी अवधि की जमा योजनाओं की होती हैं। इस योजना के अन्तर्गत, जैसे "राष्ट्रीय जमा योजना" कहा जाएगा, कुछ अभिहित केन्द्रों में चार साल की परिपक्वता वाली जमाराशियों के प्रमाणपत्र खरीदे जा सकेंगे। निवेशकर्ता को इन प्रमाणपत्रों को एक साल बाद भुनाने का विकल्प होगा। यदि ये राशियां चार वर्षों तक जमा रखी जाएंगी तो ब्याज की दर 10.5 प्रतिशत होगी और यदि ये राशियां तीन, दो और एक वर्ष के लिए जमा रहेंगी तो इन पर क्रमशः 10, 9 और 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। इन जमा-राशियों के ब्याज पर आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ के अन्तर्गत 10,000 रुपए की पूर्ण सीमा तक कर से छूट प्राप्त होगी। इस योजना के अन्तर्गत एक निश्चित समयावधि में 500 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का लक्ष्य रखा गया है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह एक अल्पकालीन योजना है और इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा अथवा यदि मौद्रिक घटनाचक्र को देखते हुए आवश्यक हुआ तो इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

18. पिछले साल सरकार द्वारा नियुक्त की गई वित्तीय संस्थाओं सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, "संपरिवर्तनीय खण्ड" में कतिपय परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है। परियोजनाओं की पूंजीगत लागत और अ-लाइसेंसीकृत क्षेत्र में निवेश की सीमा में हुई वृद्धियों को दृष्टिगत रखते हुए, संपरिवर्तनीयता खण्ड से छूट के प्रारम्भिक सोपान को 1 करोड़ रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

19. इसके अलवा, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाली कम्पनियों के मामले में संपरिवर्तनीयता खण्ड लागू नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी कम्पनी में सभी वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी धारिता 26 प्रतिशत से अधिक होगी। किन्तु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत जाने वाली कम्पनियों/बड़े व्यापारिक घरानों के मामले में, 40 प्रतिशत की मौजूदा सीमा लागू रहेगी। "उद्योग-रहित" जिलों में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, इन जिलों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित एककों के सम्बन्ध में संपरिवर्तनीयता खण्ड से पूरी तरह छूट मिलेगी। सहायता-प्राप्त कम्पनियों के बोर्डों में नियुक्त किए गए संस्थाओं के नामजद निदेशकों के कार्यचालन में भी सुधार किया जा रहा है। इस विषय में और अन्य सम्बन्धित पहलुओं पर विस्तृत मार्गनिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

20. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए उदारतापूर्वक

वित्तीय सुविधाएं देता रहा है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो योजना है वह हाल में सभी औद्योगिक एककों पर लागू कर दी गई है और इस योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपए तक की राशि ब्याज की 12.5 प्रतिशत की रियायती दर पर दी जा रही है। आधुनिकीकरण की योजनाओं की वित्तीय लागत को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि 4 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर, अगली सूचना तक, घटा कर 11.5 प्रतिशत कर दी जाएगी। कमजोर एककों को इस राशि तक की सहायता इससे भी नीची, यानी 10 प्रतिशत की दर पर दी जाएगी।

21. सदन को मालूम ही है कि सरकार वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने की वांछनीयता पर विचार करती रही है। जैसा कि मैंने गत वर्ष सदन को सूचित किया था, मैंने इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के विचार आमन्त्रित किए थे। उनकी प्रतिक्रिया आम तौर पर अनुकूल थी। राज्य सरकारों से और व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए, और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने की कार्यविधियां निर्धारित करने के लिए, मैं एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिनिधि और कुछ गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इस समिति से अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1984 के अन्त तक प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

22. अब मैं 1983-84 के संशोधित अनुमानों और 1984-85 के बजट अनुमानों की ओर आता हूं।

1983-84 के संशोधित अनुमान

23. सदन को याद होगा कि 1983-84 का केन्द्रीय क्षेत्र का आयोजना परिव्यय 13, 870 करोड़ रुपए रखा गया था। इसे 8, 390 करोड़ रुपए तक बजट से और 5, 480 करोड़ रुपए तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आन्तरिक तथा बजट-बाह्य साधनों से पूरा किया जाना था। सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों के आन्तरिक साधनों में कमी हो जाने के बावजूद, मेरा यही प्रयास रहा है कि वर्ष के दौरान कुल आयोजना परिव्यय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अब अनुमान है कि 1983-84 में केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 14,059 करोड़ रुपए होगा। बजटीय समर्थन में, बजट अनुमानों की अपेक्षा, 1,007 करोड़ रुपए की वृद्धि करके ऐसा करना संभव हुआ है।

24. डाक-तार आयोजना के लिए बजटीय समर्थन की राशि में 203 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। रेलवे के आयोजना परिव्यय में भी 54 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय समर्थन के साथ, 100 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। परिवहन और संचार क्षेत्र में, मैंने 'इन्सेट' जैसी अन्तरिक्ष परियोजनाओं के लिए और दूरदर्शन के व्याप्ति-क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त धनराशियों की व्यवस्था की है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की प्रगति को निरंतर बनाए रखने के लिए, बजट व्यवस्था में 250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रसायनों और उर्वरकों के लिए आवंटित राशि में 133 करोड़ रुपए की वृद्धि अधिकांशतः आन्तरिक साधनों में कमी हो जाने और वित्तपोषण की पद्धति में परिवर्तन होने के कारण की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में, निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य की गति को तेज करने के लिए कोयला सम्बन्धी परियोजनाओं को 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए 130 करोड़ रुपए की एक विशेष व्यवस्था की गई है। चालू वर्ष में प्रारम्भ किए गए नए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम

के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गये हैं। मैंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के लिए भी व्यवस्था में वृद्धि की है।

25. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में 392 करोड़ रुपए की वृद्धि करके उसे 4, 462 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4, 854 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें उन राज्यों को अग्रिम रूप से दी गई आयोजना सहायता की 190 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो विशेष रूप से चालू वर्ष की पहली छमाही में मानसून न आने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। आसाम राज्य को 82 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आयोजना सहायता दी गई है, जिसका अधिकांश भाग उस राज्य में दंगों से पीड़ित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए दिया गया है।

26. आयोजना-भिन्न व्यय को सीमित रखने के लिए भरसक सावधानी बरती गई है। फिर भी, कुछ अपरिहार्य वचनबद्धताएं थीं। राज्यों को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों के लिए और रुपया-व्यापार करारों के अंतर्गत तकनीकी ऋणों के लिए 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। कृषि सम्बन्धी निविष्टियों (इनपुट) के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अल्पावधिक ऋणों में 110 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों में 300 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है क्योंकि अल्प बचतों की राशि अधिक मात्रा में एकत्र होने के कारण इन बचतों से उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। चालू वर्ष की दूसरी छमाही में कोई 15 राज्यों में बाढ़ें और चक्रवातीय तूफान आये तथा ओलावृष्टि हुई। इन विपत्तियों के कारण पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आयोजना-भिन्न अनुदान की व्यवस्था की गई है।

27. इसके अतिरिक्त, मैं राज्यों को 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आयोजना-भिन्न सहायता देने के लिए व्यवस्था कर रहा हूं। इस विषय में मैं बाद में राज्यों के अगले वर्ष के आयोजना परिव्यय पर विचार करते समय चर्चा करूंगा। 590 करोड़ रुपये के इस ऋण में से 400 करोड़ रुपये की राशि से राज्यों को अपने 1982-83 के घाटे साफ करने में सहायता मिलेगी।

28. रक्षा के लिए व्यवस्था को 5,971 करोड़ रुपये से बढ़ाकर संशोधित अनुमानों में 6,350 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चालू वर्ष में, सरकारी कर्मचारियों के लिए मंजूर की गई अन्तरिम राहत और बोनस के कारण सरकार के सभी विभागों के सम्बन्ध में लगभग 280 करोड़ रुपये का खर्चा आने का अनुमान है। आयातित और स्वदेशी उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि 250 करोड़ से रुपये बढ़कर 1,048 करोड़ रुपये की हो जाएगी क्योंकि जून, 1983 में उर्वरकों की उपभोक्ता कीमतों में कमी कर दी गई थी। चालू वर्ष के दौरान, वित्तीय कठिनाइयों के कारण, सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को, खासतौर से हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राष्ट्रीय वस्त्र निगम और दिल्ली परिवहन निगम को, बजट में की गई व्यवस्था से अधिक आयोजना-भिन्न सहायता की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा, कलकत्ता पत्तन और हाल्दिया चैनल के तलकर्षण (ड्रेजिंग) के लिए आर्थिक सहायता की योजना को अगले वर्ष के अन्त तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है।

29. संशोधित अनुमानों में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने बढ़े हुए कोटे के सम्बन्ध में अभिदान देने के लिए, 502 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी शामिल की गई है। किन्तु, इसका बजट

पर कोई निवल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कोटे के अभिदानों के लिए की जाने वाली अदायगियां तदनुरूप प्राप्तियों से प्रतिसन्तुलित हो जाती हैं। उपर्युक्त और अन्य परिवर्तनों को हिसाब में लेने पर, संशोधित अनुमानों में आयोजना-भिन्न व्यय की राशि 24,773 करोड़ रुपये रखी गई है जबकि बजट अनुमानों में इसकी राशि 21,984 करोड़ रुपये की थी।

30. जहां तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है, आय-कर और सीमा-शुल्कों की प्राप्तियों के बजट अनुमान संभवतः पूरे हो जाएंगे। निगम-कर प्राप्तियों में, तेल कम्पनियों द्वारा अधिक अदायगियां किए जाने के कारण 203 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। संघ-उत्पाद-शुल्कों में भी, कच्चे तेल (क्रूड) और कोयले पर उपकरों की अधिक राशि प्राप्त होने के कारण, 85 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है। केन्द्र का कर-राजस्व, करों में राज्यों का हिस्सा अदा कर दिए जाने के बाद, 15,700 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान 15,460 करोड़ रुपये का था।

31. कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत, रेलवे के लाभांश के रूप में, बजट अनुमानों की अपेक्षा 127 करोड़ रुपये कम प्राप्त होने की संभावना है किन्तु यह कमी अन्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धियां हो जाने से अधिप्रतिसन्तुलित हो जाएगी, और चालू वर्ष में कर-भिन्न राजस्वों की कुल राशि, बजट अनुमानों की अपेक्षा 130 करोड़ रुपये अधिक होने की आशा है।

32. मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पूंजी खाते की प्राप्तियों के अन्तर्गत, चालू वर्ष के दौरान अल्प बचतों के निवल संग्रह की राशि 2,200 करोड़ रुपये तक हो सकती है, जबकि बजट अनुमान 1,700 करोड़ रुपये का था। यह चालू वर्ष के बजट में अल्प बचतों के लिए दिए गए प्रोत्साहनों का स्वागत-योग्य सुपरिणाम है। आशा है, तकनीकी ऋणों की वापसी अदायगी से 1,150 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जबकि बजट में 800 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। व्यय को घटाने के बाद निवल प्राप्ति की राशि, बजट अनुमानों के 200 करोड़ रुपये के मुकाबले, 350 करोड़ रुपए होगी।

33. गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमाराशियों और ऐसी ही अन्य रकमों से बजट अनुमानों की अपेक्षा 190 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। तेल क्षेत्र की अधिशेष धन-राशियों की जमा रकमों, राज्य सरकारों को दिए गए अर्थोपाय और अल्पावधिक अग्रिमों की अतिरिक्त वसूलियों और अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेने के बाद, चालू वर्ष में पूंजी खाते की प्राप्तियां 15,965 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमानों में इनकी राशि 12,656 करोड़ रुपए दिखाई गई थी।

34. इस प्रकार **कुल प्राप्तियों की** राशि 33,250 करोड़ रुपए से बढ़कर **36,929 करोड़ रुपए** हो जाने का अनुमान है। इससे चालू वर्ष में **बजटीय घाटा 1,695 करोड़ रुपए** का रहेगा, जबकि बजट अनुमानों में 1,586 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। इस राशि में 400 करोड़ रुपए की वह विशेष ऋण सहायता की राशि शामिल नहीं है जो पूर्ववर्ती वर्ष 1982-83 के अन्त के ओवरड्राफ्ट साफ करने के लिए राज्यों को दी गई थी। सदन अवश्य ही मुझ से सहमत होगा कि अपरिहार्य बजटीय दबावों के बावजूद, हम घाटे को विवेकपूर्ण सीमाओं में रख सके हैं।

1984-85 के बजट अनुमान

35. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि हमारी सरकार ने जनवरी 1980 में शासन-भार

संभाला था, उस समय हमारे सामने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य यह था कि आयोजन की प्रक्रिया को पुनरुज्जीवित किया जाए और विकास के कार्यक्रमों को नया बल प्रदान किया जाए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि पिछले चार सालों में, हम **सार्वजनिक निवेश की गति में अभूतपूर्व वृद्धि** कर सके हैं।

36. वर्ष 1984-85 के लिए, केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल मिलाकर अनुमोदित आयोजना परिव्यय 30,132 करोड़ रुपए का होगा, जबकि 1983-84 में इसकी राशि 25,480 करोड़ रुपए की थी। 1984-85 के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय की राशि 17,351 करोड़ रुपए रखी गई है, जो कि 1983-84 के 13,870 करोड़ रुपए के अनुमोदित आयोजना परिव्यय से 25% अधिक है।

37. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आयोजना परिव्यय की राशि 12,781 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि 1983-84 में अन्तिम रूप से अनुमोदित परिव्यय की राशि 11,678 करोड़ रुपए की थी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 5,050 करोड़ रुपए की होगी, जबकि 1983-84 के बजट अनुमानों में यह राशि 4,462 करोड़ रुपए की थी और इस प्रकार इसमें चालू वर्ष में किए गए आवंटन की तुलना में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

38. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपर्युक्त समूचे आयोजना परिव्यय के अन्तर्गत अलग-अलग राज्यों की आयोजनाओं की स्थिति भिन्न-भिन्न है। कुछ राज्यों ने अपने वित्तों का प्रबन्ध बहुत अच्छी तरह किया है; वे अतिरिक्त साधन जुटाने में और उनका पर्याप्त आकार की आयोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रभावोत्पादक उपयोग करने में सफल हुए हैं और इस प्रकार उन्होंने अपने विकास और अपनी जनता की समृद्धि के लिए व्यवस्था की है। दुर्भाग्यवश, कुछ राज्यों ने अपने निजी कारणों से, अपने साधनों का इस्तेमाल बहुत-से अन्य प्रयोजनों के लिए किया है; उन्होंने अपने साधनों को, जिनमें जुटाए गए अतिरिक्त साधन शामिल हैं, विकास के लिए नहीं लगाया है और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से भी ओवरड्राफ्ट की बड़ी-बड़ी रकमें ले ली हैं।

39. ऐसे राज्यों को भी सहायता देने के लिए, समय समय पर विभिन्न सुविधाएं और अवसर दिए गए थे। छठी आयोजना के शुरू में ही 1,412 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता की बकाया राशि **की वसूली स्थगित कर दी गई थी।** यह इसलिए किया गया था ताकि राज्य साफ खाते के साथ शुरूआत कर सकें। किन्तु राज्यों के ओवरड्राफ्ट फिर बढ़ गए और जून 1982 में मैंने 1,743 करोड़ रुपए के मध्यमावधिक ऋण देकर राज्यों के पूर्ववर्ती वर्ष के इतिशेष घाटे को साफ करने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी राज्यों को उपलब्ध अर्थोपाय की सीमाओं को दुगना कर दिया। पिछले साल फिर, बजट प्रस्तुत करते समय मैंने केन्द्रीय सहायता के स्तर में वृद्धि करने की घोषणा की। **ये सारे उपाय मुख्यतः राज्यों को इस बात की सहायता देने के लिए किए गए थे कि वे अपने वित्तीय मामलों का पुनः समायोजन कर सकें और पर्याप्त आकार की अपनी आयोजनाओं को क्रियान्वित कर सकें।**

40. दुर्भाग्य की बात है कि इन उपायों के बावजूद, कुछ राज्यों ने मार्च 1982 के बाद भी ओवरड्राफ्टों पर अत्यधिक निर्भर रहना जारी रखा। मार्च, 1984 के अन्त में उनके प्रस्तावित घाटों का उनकी आयोजनाओं के आकार पर कठोर प्रभाव पड़ेगा, यदि सामान्य परिपाटी के अनुसार, इन घाटों को उनकी अगले वर्ष की आयोजना में समायोजित किया जाएगा। इस समस्या को काबू में रखने के उपायों पर विचार करते समय मैं अपने आपको दुविधा में फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं। एक ओर, देश

का कोई भी वित्त मन्त्री किसी भी राज्य की आयोजना के आकार के विषय में उदासीन नहीं रह सकता। दूसरी ओर, यदि चूककर्ता राज्यों को सहायता दी जाती है तो सुप्रबन्धित राज्यों की यह शिकायत उचित होगी कि उन्हें अपने बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए केन्द्र से न्यायोचित पुरस्कार नहीं मिला है।

41. पिछले कुछ सप्ताहों में, उन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से फिर विचार-विमर्श किया गया है, जिनके भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट की राशि बहुत अधिक थी। कुछ राज्य सरकारें इस बात के लिए सहमत हो गई हैं कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और ओवरड्राफ्टों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगी। मैं स्वयं इस बात के लिए सहमत हो गया हूं कि मैं भी राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए और उपाय करूंगा ताकि जहां तक सम्भव हो राज्यों की आयोजनाओं को बचाया जा सके। ऐसा करते समय मैं गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति को तेज रखने की आवश्यकता के प्रति विशेष रूप से सजग रहा हूं। केन्द्रीय सहायता की राशि में भी और वृद्धि की जा रही है। इसे हिसाब में लेते हुए, आयोजना अवधि में कुल सहायता की राशि आयोजना प्रलेख में परिकलित 15,350 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले 17,790 करोड़ रुपये की होगी। इसके अलावा, जैसाकि मैंने पहले कहा है, मैंने 1983-84 के संशोधित अनुमानों में 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है। इस विशेष सहायता से ये राज्य भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अपने ओवरड्राफ्ट आंशिक रूप से साफ कर सकेंगे। राज्यों को यह भी बता दिया गया है कि उनके इतिशेष घाटों को, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमत अर्थोपाय सीमाओं तक, अगले वर्ष के आयोजना साधनों के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

42. उन राज्यों के मामले में जिन्होंने अपने वित्त का अच्छा प्रबन्ध किया है, मैं 1984-85 में उनको कुछ अतिरिक्त सहायता देने की एक उपयुक्त योजना बना रहा हूं। यह न्यायसंगत और समुचित ही है।

43. अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि सदन मुझसे इस बात के लिए सहमत होगा कि अपनी निजी साधन सम्बन्धी कठिन समस्याओं के बावजूद, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो कुछ भी वह अधिक-से-अधिक कर सकती थी, किया है। बाकी जो कुछ करना है वह उन्हें स्वयं करना है।

44. छठी आयोजना की अवधि में, सरकारी क्षेत्र की आयोजना कुल मिलाकर, चालू कीमतों पर 110,000 करोड़ रुपये से अधिक की होगी। इसकी तुलना में पूर्ववर्ती पांच वर्षों का आयोजना परिव्यय 46,700 करोड़ रुपये का था, हालांकि इन पांच वर्षों में से तीन वर्ष ऐसे हैं जो पिछली सरकार के द्वारा संचालित "गैर-आयोजना" के हैं। वास्तविक रूप में भी छठी आयोजना का परिव्यय, पिछली किसी भी आयोजना के परिव्यय की तुलना में बहुत अधिक होगा। अध्यक्ष महोदय, यह वृद्धि चालू आयोजना की अवधि में विकास की गति को तेज करने में इस सरकार द्वारा प्राप्त सफलता का एक मापदण्ड है।

45. पिछले चार सालों में, वर्तमान सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के फायदे के लिए बहुत-सी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 15 अगस्त, 1983 को प्रधानमन्त्री द्वारा घोषित दो नए कार्यक्रम, अर्थात ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगारों को निजी रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना शामिल है। इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य

लक्ष्यगत विशिष्ट समूहों के लिए आमदनी और रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना भी है।

46. अगले वर्ष की आयोजना तैयार करते समय, हमने इन कार्यक्रमों को और ऐसे अन्य कार्यक्रमों को भी जिनसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण निर्धनों को फायदा पहुंचता है, अधिक-से-अधिक समर्थन दिया है। ग्रामीण विकास मन्त्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आबंटित कुल राशि 932 करोड़ रुपये की होगी जो कि 1983-84 में रखी गई 480 करोड़ रुपये की राशि से लगभग दुगुनी है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 216 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की जा रही है; उतनी ही राशि राज्यों द्वारा भी दी जाएगी। 1984-85 में इस कार्यक्रम के लाभानुभोगियों की संख्या अनुमानतः 30 लाख से अधिक होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए, 1984-85 के सम्बन्ध में 230 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है; इस कार्यक्रम के लिए भी इतनी ही राशि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी।

47. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की परिकल्पना की गई है, के लिए आबंटित राशि को, 1983-84 के 100 करोड़ रुपये के मुकाबले, 1984-85 में बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से कुल मिलाकर 1984-85 में ग्रामीण क्षेत्रों में 55 करोड़ कार्य-दिवसों (मैन डेज) के रोजगार की व्यवस्था होगी। शिक्षित बेरोजगारों को निजी रोजगार के अवसर प्रदान करने के कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की जा रही है। जैसाकि सदन को मालूम है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई बजट व्यवस्था का उपयोग बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के एवज में पूंजीगत आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाएगा। मैं यह बतला दूं कि इन दो नए कार्यक्रमों के लिए, व्यय की प्रगति को देखते हुए, वर्ष के दौरान आवश्यकतानुसार और धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

48. वर्ष 1984-85 की आयोजना में, त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के लिए 243 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए 364 करोड़ रुपये की व्यवस्था स्वयं करेंगे। 1984-85 के दौरान 50,000 से अधिक समस्याग्रस्त गांवों को पीने के पानी की सुविधाएं मुहैया किए जाने की आशा है।

49. एकीकृत बाल विकास सेवाओं का कार्यक्रम हमारे उन प्रयत्नों का एक महत्वपूर्ण अंग है जिनसे हम अपने देश के पिछड़े इलाकों, शहरी गंदी बस्तियों और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को मदद देना चाहते हैं। यह कार्यक्रम 820 खंडों में पहले से ही चल रहा है। 1984 के अन्त तक, यह योजना सभी 1000 निर्धारित खंडों में पूरी तरह चालू हो जाएगी। इस योजना के लिए 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए, 1984-85 में कुल मिलाकर 78 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

50. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को फायदा पहुंचाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय आयोजनाओं में 1983-84 के केवल 176 करोड़ रुपये की तुलना में, 1984-85 में 209 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा और संस्कृति के कार्यक्रमों के लिए आयोजना परिव्यय को, 1983-84 में 155 करोड़ रुपये का था, काफी अधिक बढ़ाकर

1984-85 में 204 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए आयोजना परिव्यय में लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि की गई है; इसके लिए 1983-84 में 460 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, अब 1984-85 में 605 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 2 करोड़ लोग और आ जाएंगे।

51. सरकार की उपर्युक्त और अन्य सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताएं 20सूत्री कार्यक्रम में परिलक्षित होती हैं, जिसे जोरदार तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आयोजना में कुल 4,038 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो चालू वर्ष की व्यवस्था की अपेक्षा लगभग 47 प्रतिशत अधिक है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपबंधित किए जाने वाले परिव्ययों को शामिल करते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कुल व्यवस्था 11,8[illegible]8 करोड़ रुपये की होगी, जो केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल वार्षिक आयोजना परिव्यय के लगभग 40 प्रतिशत के बराबर होगी।

52. कृषि के क्षेत्र में जो असाधारण प्रगति हुई है वह अर्थव्यवस्था के लिए सामर्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्षेत्र के विकास को वर्तमान सरकार द्वारा दी गई उच्च प्राथमिकता अगले वर्ष की आयोजना में भी जारी रहेगी। इस प्रकार कृषि मन्त्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय की राशि, चालू वित्तीय वर्ष के 556 करोड़ रुपए की तुलना में 778 करोड़ रुपये कीहोगी। इस परिव्यय में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के लिए 38 करोड़ रुपये की राशि शामिल है; इस परियोजना में और पहले से चले आ रहे अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 1984-85 में ही 9.4 लाख मैट्रिक टन के अतिरिक्त उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

53. देश के आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने के लिए, विद्युत, कोयला रेलवे और पत्तनों के लिए अधिक राशियों की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 1,764 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो 1983-84 की तुलना में 44 प्रतिशत वृद्धि की द्योतक है। कोयला विभाग की परियोजनाओं के लिए 1,310 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है, जबकि 1983-84 में 1,076 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी; और 1984-85 में 1,520 लाख मैट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 1984-85 में रेलवे के लिए 1,650 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जो कि चालू वर्ष की अपेक्षा 23 प्रतिशत अधिक है। यह आशा की जाती है कि रेलों द्वारा ढोया जाने वाला राजस्व, उपार्जक यातायात 1984-85 में बढ़कर 2,450 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा। पत्तनों के विकास के लिए 201 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें मद्रास बन्दरगाह को गहरा करने के लिए 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है।

54. पेट्रोलियम के लिए 3,127 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है। इसमें अन्वेषण और उत्पादन के कार्यक्रमों के लिए 2,685 करोड़ रुपये और तेल शोधन तथा विपणन की विभिन्न योजनाओं के लिए 443 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। 1984-85 में लगभग 300 लाख मेट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। एक गैस पाइप-लाइन परियोजना के लिए भी 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इस परियोजना के द्वारा विजयपुर, जगदीशपुर आंवला, बबराला, शाहजहांपुर और सवाई माधोपुर में स्थापित की जाने वाली नई उर्वरक परियोजनाओं को बेसीन गैस की सप्लाई की जाएगी।

55. इस्पात, अलौह धातुओं, कागज, सीमेंट और अन्य बहुत से क्षेत्रों के लिए, जो देश के

औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, पहले से अधिक धनराशियों की व्यवस्था की जा रही है। मैं सदन का ध्यान उन कार्यक्रमों की ओर भी दिलाना चाहता हूं जो 1984-85 की आयोजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक साधनों के संरक्षण और पर्यावरण के सुधार के लिए शामिल किए गए हैं। पिछले अगस्त में इन्सेट-I बी को भूकेन्द्रिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करना हमारे वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों और तकनीशनों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का प्रमाण है। हमारे लिए यह एक गर्व की बात है कि भारत उन कुछ चुने हुए देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थायी वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित कर रखे हैं। भारत ही एक ऐसा विकासशील देश है जिसे समुद्री कानून सम्मेलन से "अग्रणी निवेशक" (पायनिअर इन्वेस्टर) के रूप में मान्यता प्राप्त होने की प्रतिष्ठा मिली है जिसमें हमें गहरे समुद्री तलों के खनिज साधनों का उपयोग करने का अधिकार मिल गया है।

56. अन्त में, मैं यह बतला देना चाहूंगा कि चुने हुए क्षेत्रों में बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की जो योजनायें 1983-84 में शुरू की गई थीं, वे 1984-85 में भी जारी रहेंगी। जैसा कि सदन को मालूम है, ये योजनायें बिजली बोर्डों के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए और छोटे तथा सीमांतक किसानों के कार्यक्रमों, ग्रामीण जलपूर्ति योजना, शहरी गन्दी बस्तियों में पर्यावरणिक सुधार, कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत खेतों में सरणियों का निर्माण, और स्त्रियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा और बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यक्रमों को और बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। इस प्रयोजन के लिए 200 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि सम्मानित सदस्य मुझे कोई ऐसा जादूगर समझ बैठें जो इतने कम साधनों से इतना अधिक कर सकता है। इसलिए मैं जल्दी से यह स्पष्ट कर दूं कि ये प्रोत्साहन योजनायें विनिर्दिष्ट योजनाओं के कार्य निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करने के लिए बनाई गई हैं। इनमें से प्रत्येक योजना के लिए अलग से भी यथेष्ट मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की गई है।

57. मैंने 1984-85 की वार्षिक आयोजना के उद्देश्यों और उसकी मुख्य-मुख्य प्राथमिकताओं का बहुत ही संक्षेप में विवेचन किया है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी बजट-पत्रों में उपलब्ध है।

58. आयोजना के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक परिव्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि आयोजना-भिन्न व्यय निम्नतम स्तर पर रखा जाए। किन्तु कतिपय वृद्धियां करना आवश्यक और अपरिहार्य है। मैं यह भी बतला दूं कि राज्य सरकारों से होने वाली प्राप्तियों और उनकी की जाने वाली अदायगियों के अनुमान तैयार करते समय आठवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। इस विषय में मैं सदन को पहले सूचित कर चुका हूं। आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट अप्रैल, 1984 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

59. मैंने रक्षा व्यय के लिए इस वर्ष के संशोधित अनुमानों के 6,350 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्ष 6,800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मुझे विश्वास है कि सदन इस बात में मुझसे सहमत होगा कि रक्षा के लिए सभी जरूरतों को देश की सुरक्षा के हित में पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए। अगले वर्ष ब्याज की अदायगियों की अनुमानित राशि, इस वर्ष के 4,850 करोड़ रुपये के मुकाबले, 5,600 करोड़ रुपये की होगी। उधार की राशियां अधिकांशतः हमारे विकास कार्यों का वित्तपोषण करने के लिए ली जाती हैं और ब्याज की अदायगियों की राशि में वृद्धि बचतें जुटाने की हमारी नीतियों

की सफलता के कारण हुई है। खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता के लिए 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। स्वदेशी और आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता देने के लिए 1,080 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। निर्यात संवर्द्धन और विपणन विकास के लिए 530 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

60. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें और पेंशन राहत आदि देने के लिए 1984-85 में 300 करोड़ रुपये की एकमुश्त व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं और समायोजन के स्वरूप वाली अन्य व्यवस्थाओं को हिसाब में लेने पर, 1984-85 में कुल आयोजना-भिन्न परिव्यय अनुमानतः 26,066 करोड़ रुपये का होगा, जबकि 1983-84 के संशोधित अनुमानों में 24,773 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

61. जहां तक 1984-85 में प्राप्तियों का सम्बन्ध है, कराधान के वर्तमान स्तरों पर 22,993 करोड़ रुपये का सकल कर-राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है जिसकी तुलना में इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में 25,946 करोड़ रुपये की राशि परिकल्पित की गई है। अनुमान है कि 1984-85 में करों में राज्यों का हिस्सा चालू वर्ष के 5 246 करोड़ रुपए के मुकाबले, 5,739 करोड़ रुपये का होगा और इस प्रकार इसमें लगभग 500 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इस प्रकार, केन्द्र का निवल कर राजस्व, चालू वर्ष के 15,700 करोड़ रुपये की तुलना में, 17,254 करोड़ रुपये का होगा। रेलवे और डाक-तार से प्राप्त होने वाला लाभांश, 1983-84 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 106 करोड़ रुपये अधिक होगा। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सरकारों से ब्याज की अदायगी और ऋणों की वापसी अदायगी के रूप में पहले से अधिक राशि प्राप्त होगी।

62. बाजार ऋणों से चालू वर्ष के 4,000 करोड़ रुपये के मुकाबले, अगले वर्ष 4,100 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। अल्प बचतों के संग्रह की राशि चालू वर्ष के 2,200 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,400 करोड़ रुपये आंकी गई है। वापसी अदायगी की राशि को घटाने के बाद, निवल विदेशी सहायता की राशि चालू वर्ष के 1,902 करोड़ रुपये की तुलना में अनुमानतः 2,089 करोड़ रुपये की होगी। अगले वर्ष के बजट में उस राष्ट्रीय जमा योजना से प्राप्त होने वाली 200 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल की गई है जिसका उल्लेख मैंने अपने भाषण में पहले किया है। इन प्राप्तियों और प्राप्तियों में होने वाली अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेने के बाद, अनुमान है कि 1984-85 में कुल 40,501 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होंगी। इन प्राप्तियों में रेलवे के यात्री किराए और माल भाड़े में किए गए परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में ले लिया गया है। कुल अनुमानित व्यय 42,536 करोड़ रुपये का होगा। इस प्रकार बजट में कराधान की मौजूदा दरों पर कुल मिलाकर 2,035 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

63. मैंने सदन का काफी समय ले लिया है। अब मैं अन्य कर प्रस्तावों की ओर आता हूं।

64. इन प्रस्तावों को तैयार करते हुए, मैंने आर्थिक स्थिति की उन वास्तविकताओं को ध्यान में रखने की कोशिश की है, जिनका उल्लेख मैंने अपने भाषण के शुरू में किया था। मुझे आशा है कि ऐसा करते समय मैंने उस विशिष्ट आगामी घटना को पूर्णतः अनदेखा नहीं किया है, जिसका संसद के हम सब लोगों के लिए बड़ा महत्व है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : निर्वाचन ?

श्री प्रणब मुखर्जी : सातवीं योजना।

65. अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रस्ताव निगम-भिन्न आय-कर के क्षेत्र के बारे में है। मेरा वैयक्तिक कराधान की दरों के समूचे ढांचे में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है। 15,001 रुपये से 20,000 रुपये तक की कर-योग्य आय के पहले खण्ड पर कर की मौजूदा दर 25 प्रतिशत है। सदन को याद होगा कि पिछले वर्ष इस दर को उस समय विद्यमान 30 प्रतिशत के स्तर से घटा कर नीचे किया गया था। अब मैं इस दर को और घटा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। 20,000 रुपये से ऊपर के सभी आय-स्तरों पर भी राहत दी गई है। 1 लाख रुपये से ऊपर की आमदनियों पर कर की अधिकतम सीमान्तिक दर को 60 प्रतिशत से घटा कर 55 प्रतिशत किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, कुछ खण्डों पर कर की नई दरें इस प्रकार होंगी : 25,001 रुपये से 30,000 रुपए तक के आय-खंड पर नई दर 35 प्रतिशत की मौजूदा दर की तुलना में 30 प्रतिशत, 50,001 रुपये से 60,000 रुपए तक के आय-खंड पर 50 प्रतिशत की मौजूदा दर की तुलना में 45 प्रतिशत, और 70,001 रुपए से 80,000 रुपए तक के आय-खंड पर 55 प्रतिशत की मौजूदा दर की तुलना में 50 प्रतिशत होगी।

66. उक्त प्रस्ताव से आय के सभी स्तरों पर राहत मिलेगी। मुझे आशा है कि मानक कटौती में पिछले वर्ष की गई वृद्धि के साथ-साथ इस उपाय से विशेष रूप से बंधी आमदनी वाले वर्गों को काफी राहत मिलेगी। संशोधित कर अनुसूची के अनुसार 20,000 रुपए की आय वाले करदाता को कर में 281 रुपए की राहत प्राप्त होगी, जो उसके द्वारा पहले देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर है। 30,000 रुपये के आय-स्तर पर यह राहत 844 रुपए अथवा पुराने दर-ढांचे के अन्तर्गत देय कर के 16.67 प्रतिशत के बराबर, और 50,000 रुपए की आमदनी के स्तर पर देय कर के 10 प्रतिशत के बराबर होगी।

67. अनुमान लगाया गया है कि करदाताओं की संख्या में और विभिन्न आय-खंडों की निर्धारित आमदनियों में कोई परिवर्तन न होने पर, प्रस्तावित दर अनुसूची से राजस्व में 180 करोड़ रुपये की हानि होगी। लेकिन कर की दरों को कम करने पर सामान्यतः यह आशा की जा सकती है कि इसके फलस्वरूप विभिन्न आय-खंडों पर करदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी और कर सम्बन्धी उपबन्धों का अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह पालन होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैंने राजस्व में केवल 59 करोड़ रुपए की निवल हानि होने की परिकल्पना की है। यह हानि पूर्णतः, बंधी आय वाले वर्गों को कर में दी गई राहत के परिणामस्वरूप हुई मानी जा सकती है। जहां तक व्यापार और व्यवसाय से होने वाली आय का सम्बन्ध है, मेरी यह धारणा है कि दरों में कमी किए जाने से कर सम्बन्धी उपबन्धों का अधिक अच्छी तरह पालन करने और आय को अधिक सही रूप में प्रकट करने को प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्व में होने वाली कमी इससे अंशतः पूरी हो जाएगी।

68. अध्यक्ष महोदय, एक तरह से इस प्रस्ताव से कर-प्रणाली को युक्ति-संगत बनाने के उस कार्यक्रम को जारी रखा गया है, जो मेरी पार्टी द्वारा 1974 में प्रारम्भ किया गया था, 1976 में आगे बढ़ाया गया था और 1980 में पुनः सत्ता में आने के बाद जिसे और बल प्रदान किया गया था। मौजूदा कर ढांचे को एक ऐसे स्तर पर ले आया गया है जिसे मैं यथार्थतापूर्ण और पूर्णतः उचित मानता हूं। मुझे आशा है कि उपयुक्त उपाय का हमारी कर संस्कृति पर हितकारी प्रभाव पड़ेगा और उससे अधिक-से अधिक करदाताओं को आगे आने और स्वेच्छा से अपनी सही आय घोषित करने की प्रेरणा मिलेगी।

69. इसके साथ-साथ, कर-प्रशासन को सरल बनाने और उसे करदाताओं की जरूरतों के

अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए यह जरूरी होगा कि कर-निर्धारण के काम को जहां तक हो सके कम-से-कम समय में पूरा करने की कोशिश की जाए। जैसाकि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना की परिधि में 1 लाख रुपए तक की आय आ जाती है। इस सीमा के भीतर आने वाली आमदनियों के केवल कुछ प्रतिशत मामलों की ही जांच-पड़ताल की जाती है, और ऐसे मामलों को यादृच्छिक नमूने के आधार पर चुना जाता है। 1983-84 में संक्षिप्त कर-निर्धारण के 85 प्रतिशत कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। मैंने आय-कर विभाग को कर-निर्धारण के काम में और तेजी लाने की हिदायतें दी हैं।

70. पिछले कुछ वर्षों से आय-कर अधिनियम में ऐसे उपबन्ध शामिल हैं जिनसे केन्द्रीय सरकार को ऐसी अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपए से अधिक हो। इस शक्ति का प्रयोग ऐसी स्थितियों में किया जा सकता है, जहां सम्पत्ति के अन्तरण का घोषित प्रतिफल (कन्सिडरेशन) उचित बाजार मूल्य से कम हो। अधिक संख्या में अपेक्षाकृत कम मूल्य वाले मामलों को निपटाने में जो अनुत्पादक काम होता है, उससे बचने के उद्देश्य से और बाजार भावों में हुई वृद्धि को देखते हुए, मैंने उक्त उपबन्ध को इस प्रकार संशोधित किया है जिससे कि इस शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में ही किया जाएगा, जहां उचित बाजार मूल्य 50,000 रुपए से अधिक होगा। इसे और सरल बनाने के लिए यह उपबन्ध किया जा रहा है कि पंजीकरण अधिकारी के समक्ष विहित विवरण केवल उन मामलों में दाखिल किया जाएगा, जहां अन्तरण के प्रतिफल का मूल्य 10,000 रुपए की मौजूदा सीमा के स्थान पर 25,000 रुपए से अधिक होगा।

71. मैं समझता हूं कि दरों में कमी किए जाने और कर-निर्धारण शीघ्रतापूर्वक किए जाने से अब उन लोगों के प्रति नरमी दिखाने का कोई बहाना नहीं रहेगा जो हमारे कानूनों का अनुचित लाभ उठाते हैं। ऐसे मामलों के बारे में अनिवार्यतः कड़ाई से कार्रवाई करनी होगी। कर-अपवंचन और कर-परिवर्जन को हतोत्साहित करने के लिए मैं कुछ और उपाय भी लागू कर रहा हूं। ऐसे सभी मामलों में, जहां कुल कारोबार 20 लाख रुपए से अधिक का हो, अथवा जहां किसी व्यवसाय से हुई सकल प्राप्तियां 10 लाख रुपए से अधिक की हों, मैं लेखाओं की अनिवार्य लेखा-परीक्षा कराने का उपबन्ध कर रहा हूं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लेखा पुस्तकें और अन्य अभिलेख उचित रूप से रखे जाएं और उनसे करदाता की वास्तविक आमदनी सही रूप में प्रकट हो। मैं यह भी प्रस्ताव कर रहा हूं कि 10,000 रुपए अथवा उससे अधिक की उधार अथवा जमा राशियां केवल रेखित चेकों या बैंक ड्राफ्टों के जरिए ही ली या स्वीकार की जाएंगी।

72. मैंने देखा है कि आय-कर अधिनियम के मौजूदा उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि बेनामी रूप से धारित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए वैध मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी न्यायालय में तब तक वाद दायर नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसने आय-कर की किसी विवरणी में ऐसी सम्पत्ति से होने वाली आय अथवा निवल धन की किसी विवरणी में ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की घोषणा न कर रखी हो या इस सम्बन्ध में आय-कर अधिकारी को विहित फार्म में सूचना न दे रखी हो। इस समय, ऐसी विवरणी या सूचना वाद दायर करने से पहले कभी भी दी जा सकती है। सम्पत्ति के बेनामी धारण की पद्धति पर रोक लगाने के उद्देश्य से, मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि अब से सभी मामलों में सम्पत्ति के अर्जन के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर आय-कर आयुक्त को विहित फार्म में सूचना देना अनिवार्य होगा। इस संशोधन से विभाग सम्पत्ति के ऐसे बेनामी अर्जन के सम्बन्ध में, अवधि के समाप्त होने से काफी पहले ही, उपयुक्त कार्यवाई शुरू कर सकेगा।

73. निगम-भिन्न क्षेत्र के बाद अब मैं अपना ध्यान निगम क्षेत्र की ओर लाता हूं। इस क्षेत्र के लिए कर की दरों में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं एक सुविधा दे रहा हूं। पिछले वर्ष, कम्पनियों द्वारा देय अधिभार को 2.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत करते समय मैंने कम्पनियों को अतिरिक्त अधिभार की राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा कराने का विकल्प दिया था। अब मैं यह उपबन्ध कर रहा हूं कि कम्पनियां इस विकल्प का प्रयोग उनके द्वारा देय अधिभार की समूची राशि के सम्बन्ध में कर सकती हैं। ये साधन निगम क्षेत्र के पास वापस लौट आएंगे और आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध होंगे। अपने भाषण के पहले भाग में, मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नरम शर्तों वाले ऋणों की योजना के अन्तर्गत दिए जा रहे 4 करोड़ रुपए तक के ऋणों के ब्याज की दर को घटाने के निर्णय का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं।

74. विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की कटौती योग्य राशि की जो सीमा आय-कर अधिनियम में निर्धारित है, वह कम है और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रबन्धकीय पारिश्रमिकों में जो परिवर्तन किए गए हैं उन्हें देखते हुए, मैं भी प्रबन्धकों के वेतन की उच्चतम सीमाओं को 5,000 रुपए से बढ़ा कर 7,500 रुपए प्रति मास कर रहा हूं। लेकिन परिलब्धियों से सम्बन्धित उच्चतम सीमा अपरिवर्तित रहेगी।

75. चाय के उत्पादन और विनिर्माण का कारोबार करने वालों के लिए भी कुछ रियायतों की व्यवस्था की जा रही है। मौजूदा उपबन्धों में चाय की झाड़ियों के पुनः रोपण अथवा प्रतिस्थापन के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में ही कर से छूट की व्यवस्था है। मैं कर की इस छूट को इन क्षेत्रों के कायाकल्प और उन्नयन की अन्य अनुमोदित योजनाओं के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता पर भी लागू कर रहा हूं। मुझे आशा है कि इस उपाय से चाय के उत्पादन को बढ़ाने की हमारी योजना को मदद मिलेगी।

76. मुझे विश्वास है कि मेरे अगले प्रस्ताव का स्वागत बहुत अधिक लोगों द्वारा किया जाएगा। इस समय निवेशकर्ता ऋणपत्रों पर ब्याज और लाभांश, स्रोत पर कर की कटौती कराए बिना, प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे आय-कर अधिकारी से लिया गया छूट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें या इस आशय का एक घोषणा-पत्र दाखिल कर दें कि उस वर्ष उनकी आय छूट की सीमा से नीचे है। कागजी कार्रवाई को कम करने और छोटे निवेशकर्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए, मैं यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं कि अब से बहुजनधारित कम्पनियां ऋण-पत्रों के ब्याज और लाभांश आय की 1,000 रुपए तक की राशि की अदायगी स्रोत पर कर की कटौती किए बिना कर सकती हैं, बशर्ते कि अदायगी शाहजोग (अकाउंट पेई) चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जाए।

77. अध्यक्ष महोदय, मेरे देखने में आया है कि करदाताओं का एक वर्ग कर कानूनों के कतिपय उपबन्धों का दुरुपयोग कर रहा है। पिछले वर्ष मैंने पूर्त और धार्मिक न्यासों और संस्थाओं के कराधान के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा की थी। मैंने देखा है कि वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा न्यास निधियों के निवेश की जो पद्धति निर्धारित की गई थी, कुछ न्यास उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसे सभी न्यास और संस्थाएं निर्धारित निवेश पद्धति का कड़ाई से पालन करें और इस आय अथवा सम्पत्ति का इस्तेमाल व्यवस्थापकों और न्यासियों आदि को लाभ पहुंचाने के लिए न किया जाए। इसलिए मैं दोषी न्यासों और संस्थाओं की आय-कर की अधिकतम सीमान्तिक दर पर

कराधान का उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं।

78. मैं इस विषय पर चर्चा करते समय यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ऐसे न्यासों की स्थापना करने की प्रवृत्ति देखने में आई है जो कारोबार करते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि जहां ऐसे न्यासों को कारोबार से मुनाफा और अभिलाभ हो वहां न्यास की समूची आय पर अधिकतम सीमान्तिक दर से कर लगाया जाएगा; लेकिन जिन मामलों में न्यास की स्थापना वसीयत के जरिए आश्रित सम्बन्धियों के लिए की गई हो, केवल उनमें अपवादस्वरूप ऐसा नहीं किया जाएगा।

79. जो एक अन्य अवांछनीय बात ध्यान में आई है, वह है निगमित निकायों द्वारा तथाकथित कल्याण निधियों में भारी मात्रा में अंशदान करने की प्रवृत्ति। मुझे यह भी पता चला है कि इन निधियों का उपयोग मनमर्जी से किया जाता है और इन पर कोई अनुशासन लागू नहीं होता। अतः मैं यह उपबन्ध कर रहा हूं कि केवल कानून के अन्तर्गत स्थापित की गई निधियों अथवा किसी अनुमोदित भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि अथवा उपदान निधि में किए जाने वाले अंशदानों के सम्बन्ध में ही कटौती उपलब्ध होगी। मैं यह परिवर्तन भूतलक्षी प्रभाव से कर रहा हूं ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

80. पिछले वर्ष मैंने निर्यात कारोबार से सम्बन्धित योजना को उदार बना दिया था। मेरा इसे जारी रखने और कुछ अधिक लम्बी अवधि तक इसके कार्यचालन पर नजर रखने का विचार है।

81. पिछले वर्ष मैंने उन विभिन्न प्रकार की छूटों और कटौतियों का भी उल्लेख किया था, जो समय पाकर हमारी कर-प्रणाली का अंग बन गई हैं। यद्यपि यह हो सकता है कि प्रत्येक कटौती का अपने आप में कोई लाभ हो, लेकिन कुल मिला कर इनका परिणाम यह हुआ है कि कर-प्रशासन बड़ा पेचीदा हो गया है और कर-परिवर्जन अथवा कर-अपवंचन तथा मुकदमेबाजी के रास्ते खुल गए हैं। इसलिए मैंने इनकी समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो वहां ऐसी रियायतों को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी, जिनकी अब कोई उपयोगिता न रही हो। मेरा इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का इरादा है।

82. हमारा अनुभव यह है कि व्यय पर आधारित रियायत के परिणामस्वरूप व्यय को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की प्रवृत्ति बन जाती है और इसलिए कर-प्रणाली में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत उपलब्ध सारी भारित कटौतियों को वापस ले लिया जाए। वास्तविक रूप में किए गए व्यय को कटौती के लिए निस्सन्देह अर्हता प्राप्त होती रहेगी। केवल भारांश (वेटेज) का लाभ अब प्राप्त नहीं होगा।

83. मैं आय-कर अधिनियम की धारा 33ख, 35ग, 80 गग 80घ और 80ङ के अन्तर्गत उपलब्ध छूटों को भी वापस ले रहा हूं। इस बात के बावजूद कि इन कटौतियों के उद्देश्य ऊपरी तौर पर बड़े प्रशंसनीय हैं, इनका दुरुपयोग किया जाता रहा है अथवा इनसे केवल कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचा है। इनसे सम्बन्धित राजस्व की राशि बड़ी मामूली है। मैं धारा 80ड, 80ढ और 80ण के अन्तर्गत उपलब्ध छूट की मात्रा में भी कमी कर रहा हूं।

84. अब मैं धन-कर अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ रियायतों की घोषणा करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि सम्मानित सदस्य यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि किसी एक करदाता के स्वामित्व वाले

एक मकान के सम्बन्ध में छूट की मौद्रिक सीमा को 1 लाख रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ा कर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। बाजार मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। मैं विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में छूट की सीमा को भी 1,65,000 रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 2,65,000 रुपए करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के सम्बन्ध में उपलब्ध 35,000 रुपए की पृथक छूट के साथ, जिसका विस्तार राष्ट्रीय जमा योजना के अन्तर्गत जमा-राशियों पर किए जाने का प्रस्ताव है, विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों के मूल्य के सम्बन्ध में समग्र छूट की मौजूदा 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाएगी। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने भाषण के पहले भाग में वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में बचतें जुटाने में हुई सफलता का जिक्र किया था; मुझे आशा है कि इस परिवर्तन से उसमें और वृद्धि होगी।

85. प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन अपेक्षाकृत मामूली किस्म के हैं और मैं उनके विस्तार में जाकर इस सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता।

86. कतिपय रियायतों को वापस लेने अथवा उनमें फेर-बदल करने के फलस्वरूप राजस्व में जो वृद्धि होगी उसे हिसाब में लेने के बाद, आय-कर से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों से 75 करोड़ रुपए की निवल हानि होगी, जिसमें केन्द्र को 36.32 करोड़ रुपए और राज्यों को 38.68 करोड़ रुपए की हानि होगी।

87. अध्यक्ष महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों की चर्चा करूंगा। यहां मेरा मुख्य उद्देश्य कुछ सोच-विचार कर चुने हुए क्षेत्रों में उत्पाद-शुल्कों में यथेष्ट राहत और टेरिफ समायोजनों के जरिए भारतीय उद्योगों के विकास को और बढ़ावा देना है। इसके अलावा, मैंने उपभोक्ताओं के लिए कुछ मदों की कीमतों को घटाने और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित रखने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि ऐसा करते हुए मैंने थोड़ा सरकारी राजस्वों का भी ध्यान रखा है।

88. सीमा-शुल्कों से संबंधित मेरा प्रमुख प्रस्ताव सहायक सीमा-शुल्कों के बारे में है। 1973 के बजट से वार्षिक आधार पर लगाए गए शुल्क को 31 मार्च, 1985 तक लागू रखने का प्रस्ताव है। मैं कुछ अपवादों के साथ, वर्तमान प्रभावी दरों में 5 प्रतिशतांशों की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं उर्वरकों जैसी आवश्यक मदों, किरोसीन तथा हाई स्पीड डीजल तेल जैसे खुले पेट्रोलियम उत्पादों और अखबारी कागज को भी इस प्रस्तावित वृद्धि से अलग रखना चाहता हूं। इन प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा बजट-पत्रों में उपलब्ध है। इस प्रस्ताव से एक पूरे वर्ष में 241.73 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

89. क्रूड पेट्रोलियम पर 9.50 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से इस समय जो सीमा-शुल्क लग रहा है (जो सहायक शुल्क के रूप में लिया जा रहा है) उसकी यह दर 1973 में निर्धारित की गई थी। पेट्रोलियम उत्पादों की आन्तरिक कीमतों पर कोई प्रभाव डाले बिना, मैं क्रूड पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाकर 100 रुपए प्रति मेट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से राजस्व में 132.76 करोड़ रुपए का फायदा होगा। शुल्क की इस वृद्धि को कम्पनियां स्वयं सह लेंगी और उन्हें इसकी वजह से उपभोक्ता कीमतों में कोई वृद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

90. लोहे और इस्पात की मदों पर आयात-शुल्क की वर्तमान दरें कुछ साल पहले तय की गई

थीं और इस समय वे स्वदेशी उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही हैं। मैं लोहे और इस्पात (स्टेनलेस स्टील से भिन्न) की भिन्न-भिन्न मदों पर बुनियादी सीमा-शुल्क में, शुल्क की मौजूदा दरों को दृष्टिगत रखते हुए, 5 प्रतिशतांशों अथवा 10 प्रतिशतांशों की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि स्टेनलेस स्टील की मेल्टिंग स्क्रैप पर, जो इस समय सीमा-शुल्क से मुक्त है, कुल मिलाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से सीमा-शुल्क लगा दिया जाए। इन उपायों से 84.20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

91. मैं जिप फासनरों तथा उनके हिस्सों, मेग्नेटिक टेपों और पेट्रोलियम की विशिष्ट वस्तुओं, अर्थात् पेट्रोलियम जेली, सोडियम पेट्रोलियम सल्फोनेट और लिक्विड पैराफीन पर आयात-शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा बजट-पत्रों में उपलब्ध है। इन प्रस्तावों से कोई 5.32 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी।

92. रत्नों और आभूषणों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि रत्नों और आभूषणों का प्रसंस्करण और विनिर्माण करने वाली कई-एक मशीनों पर लगने वाले सीमा-शुल्कों की मौजूदा दरों को घटा कर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। रत्न प्रसंस्करण मशीनों से प्रसंस्करण की प्रक्रिया में होने वाली हानि बहुत-कुछ घट जाएगी और उनसे कुल मिलाकर उनकी गुणवत्ता (क्वालिटी) और उत्पादकता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार, मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं कि खाद्य वस्तुओं के पैकेज बनाने में इस्तेमाल में आने वाली और मांस तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा काम में ली जाने वाली विनिर्दिष्ट मशीनों पर लगने वाले सीमा-शुल्कों की मौजूदा दरों को घटाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। आशा की जाती है कि इससे मूल्य-योजित रूप में और खुले रूप की बजाए उपभोक्ता पैकों में खाद्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। उपर्युक्त प्रस्तावों से कोई 5.24 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

93. मशीनी औजार प्रौद्योगिकी में उन्नति हो जाने के कारण, परंपरागत मशीनी औजारों के स्थान पर सी० एन० सी० मशीनों का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनकी उत्पादकता अधिक होती है और वे अधिक सही होती हैं। मैं सी० एन० सी० प्रणालियों पर लगने वाले सीमा-शुल्क को घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि स्वदेशी मशीनी औजार विनिर्माता सी०एन० सी० मशीनी औजारों को प्रतियोगितात्मक दरों पर दे सकें। इससे 0.82 करोड़ रुपये तक के राजस्व का त्याग करना होगा।

94. कागज उद्योग को उसकी कच्ची सामग्री उचित कीमतों पर सुलभ कराने के लिए और अपने वन्य साधनों पर दबाव को कम करने के लिए, मैं कागज या गत्ता बनाने के काम आने वाली लुगदी बनाने के लिए लकड़ी की खपच्चियों को सीमा-शुल्कों से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कागज बनाने के लिए आयात की गई लकड़ी की लुगदी पर शुल्क को मौजूदा स्तर से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाए। ऐसा करने से 1.10 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

95. सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के भण्डारण आदि विषयों से संबंधित उपबन्धों में और सीमा-शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 के उपबन्धों में कुछ परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों का ब्यौरा बजट-पत्रों में दिया गया है।

96. महोदय, अब मैं उत्पाद-शुल्कों संबंधी अपने प्रस्तावों की ओर आता हूं। मेरे इन प्रस्तावों के मुख्य उद्देश्य हैं : मुद्रास्फीति के प्रभावों को न्यूनतम करना, कर परिवर्जन और अपवंचन की गुंजाइश को कम करना, मांग की मंदी से प्रभावित चुने हुए उद्योगों को सहारा देना और पहले से निर्मित क्षमता तथा निवेश को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना।

97. मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेष उत्पाद-शुल्क मौजूदा दरों पर और वर्तमान छूटों के साथ 31 मार्च, 1985 तक लागू रहें।

98. राहत से सम्बन्धित मेरा पहला प्रस्ताव खांडसारी चीनी के बारे में है। मैं खांडसारी चीनी को पूरी तरह उत्पाद-शुल्क से मुक्त करना चाहता हूं। इस उद्योग के श्रम-प्रधान स्वरूप को देखते हुए और इस उद्योग में रोजगार की वृद्धि के और अवसर सुलभ कराने के लिए मैं यह छूट दे रहा हूं। उत्पाद-शुल्क हटा दिए जाने से यह उद्योग गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने की अच्छी कीमत दे सकेगा, और इससे दूर-दराज के देहाती इलाकों में स्थित अनेकों खांडसारी के एककों को राहत मिलेगी। इस प्रस्ताव के कारण 16.42 करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग करना पड़ेगा। मुझे यह बताया गया है कि खांडसारी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। यदि इस उपाय के फलस्वरूप, देशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो मैं आशा करता हूं कि इसका श्रेय, मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री महोदय को नहीं, बल्कि मुझे मिलेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मधुमेह रोग में वृद्धि होगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : 99. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1978 के बजट में बिजली पर उत्पाद-शुल्क, राजस्व के उपाय के रूप में, लगाया था। बिजली पर प्राप्त होने वाले शुल्क की सारी निवल राशि राज्यों में वितरित कर दी जाती है। बिजली पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है और यह राज्य सरकारों पर छोड़ा जा रहा है कि वे जहां तक चाहें और जिस तरीके से चाहें, इस स्रोत का उपयोग कर लें। इससे राज्यों को साधन जुटाने का एक और क्षेत्र मिल जाएगा। मैं राज्यों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कुछ समय दे रहा हूं ; उत्पाद-शुल्क हटाने का यह प्रस्ताव 1 अक्तूबर, 1984 से प्रभावी होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : राज्य अपने उपभोक्ताओं का शोषण करेंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : 100. कपड़े को सस्ता करने के उद्देश्य से मैं कपड़ा उद्योग को भी काफी राहत देना चाहता हूं। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1982 और 1983 के बजटों में पोलिएस्टर के वांछनीय अनुपातों के साथ मिश्रित किस्मों के कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया था। ऐसे कपड़े अधिकाधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इस उद्योग को और राहत देने के लिए और ऐसे कपड़ों को सस्ती कीमतों पर सुलभ कराने के सर्वोपरि उद्देश्य से, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम मात्रा में पालिएस्टर वाले पालिस्टर-काटन ब्लेंडेड यार्न पर लगने वाले कुल उत्पाद-शुल्क को घटाकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए। ऐसे यार्न पर लगने वाले शुल्क की मौजूदा दरें, आमतौर पर, पालिएस्टर-काटन मिश्रण के अनुपात के अधार पर, 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम से 22.5 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच भिन्न भिन्न होती हैं। मेरे प्रस्ताव के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम मात्रा में पालिएस्टर के सभी मिश्रणों पर उसी घटी हुई दर से शुल्क लगेगा। पालिएस्टर और विस्कस के इसी प्रकार के मिश्रणों पर उत्पाद-शुल्क घटाकर

10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाएगा जबकि शुल्क की वर्तमान दरें आमतौर पर 11.25 रुपए प्रति किलोग्राम से 22.50 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच भिन्न-भिन्न होती हैं। इन परिवर्तनों से एक पूरे वर्ष में अनुमानत: 33.25 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

101. मेरा ध्यान मिश्रित कपड़ों (ब्लेंडेड फेब्रिक्स) की ओर भी गया है। पालिएस्टर मिश्रित सूती कपड़ों पर, जिनमें पालिएस्टर की मात्रा 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम हो, उत्पाद-शुल्क को घटा कर 2 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाएगा। ऐसे कपड़ों पर इस समय 7.5 प्रतिशत से 17.8 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न दरों पर मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क लगता है। इस रियायत से एक पूरे वर्ष में राजकोष को 26.50 करोड़ रुपए कम प्राप्त होंगे। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह 2 प्रतिशत मूल्यानुसार का शुल्क बिक्री-कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के रूप में वसूल किया जाए। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम ही है, वस्त्रों पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की प्राप्तियां राज्यों को मिलती हैं।

102. पालिएस्टर मिश्रित सूती यार्न और पालिएस्टर मिश्रित सूती कपड़ों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क के ढांचे में किए जाने वाले इन परिवर्तनों से, 67 : 33 के अनुपात वाले मिश्रण के मामले में लगभग 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की थोक कीमत वाले और 35 रुपए से 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की खुदरा कीमत वाले कपड़े पर शुल्क में लगभग 3.30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की कमी होगी। इस प्रकार शुल्क कम किए जाने से कपड़ा उद्योग ऐसे कपड़ों को कम कीमतों पर बेच सकेगा।

103. मैं सूती कपड़ों पर भी राहत देने का प्रस्ताव करता हूं जिनका देश में कपड़े के कुल उत्पादन में अब भी काफी बड़ा हिस्सा है। मैं 51 से कम काउण्ट वाले और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक के निर्धारणीय मूल्य के सूती कपड़ों पर उत्पाद-शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। सम्मिश्रित (कंपोजिट) मिलों के मामले में, ऐसे कपड़ों पर इस समय 2.38 प्रतिशत से 3.56 प्रतिशत तक की भिन्न-भिन्न मूल्यानुसार दरों पर उत्पाद-शुल्क लगता है। पावरलूम और हैंडलूम के कपड़ों का संसाधन करने वाले स्वाधीन संसाधकों के मामले में शुल्क की रियायती दर लागू होती है। मैं स्वाधीन संसाधकों द्वारा संसाधित उपयुक्त किस्मों के हैंडलूम और पावरलूम के कपड़ों को पूरी तरह शुल्क-मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। सम्मिश्रित मिलों के कपड़ों के लिए शुल्क की दर को भी घटाकर सामान्य 1 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है और इस प्रकार स्वाधीन संसाधकों और सम्मिश्रित मिलों के बीच के मौजूदा अन्तर को लगभग कायम रखा जा रहा है। यह शुल्क बिक्री-कर के एवज में लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के रूप में होगा और यह पूरा का पूरा राज्यों को मिलेगा। ऐसे कपड़े अधिकतर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। शुल्कों में की जाने वाली इस कमी का फायदा यह होगा कि इन वर्गों के लोगों को यह कपड़ा सस्ती कीमतों पर मिलेगा। सूती कपड़ों से संबंधित इस प्रस्ताव से 28.40 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

104. मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रस्तावों से कपड़ा उद्योग को भी मदद मिलेगी। कपड़ों की कीमत कम हो जाने की वजह से उनकी मांग बढ़ेगी और इस प्रकार उद्योग को फायदा पहुंचेगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : चुनाव कब है?

श्री प्रणब मुखर्जी : 105. क्रास रील हैंकों के रूप में सूती यार्न और सेलूलोसिक स्पन यार्न का इस्तेमाल हाथकरघा क्षेत्र में बराबर बढ़ता जा रहा है। 'हाथकरघा वर्ष' में, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पंजीकृत हाथकरघा सहकारी समितियों अथवा हाथकरघों के विकास के लिए स्थापित या अनुमोदित संगठनों को सप्लाई किए जाने वाले ऐसे यार्न पर शुल्क-भार में लगभग 50 प्रतिशत की कमी कर दी जाए। इससे एक पूरे वर्ष में राजकोष को 3 करोड़ रुपए की हानि होगी।

106. कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्तावों से जो राजस्व की हानि होगी उसको कुछ हद तक पूरा करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक के निर्धारणीय मूल्य के मानव-निर्मित कपड़ों पर बिक्री-कर के बदले में लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दर को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। यह वृद्धि उन मिश्रित कपड़ों के मामले में लागू नहीं होगी जिनके बारे में शुल्क कम किया जा रहा है। इसका असर उन अधिक कीमती कपड़ों पर पड़ेगा जिनका इस्तेमाल मुख्यतःसमाज के अपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न वर्गों द्वारा किया जाता है। उन्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इस उपाय से, राजकोष को एक पूरे वर्ष में 27 करोड़ रुपये मिलेंगे और यह राशि भी राज्यों के हिस्से में आएगी।

107. मैं शोडी कम्बलों और सम्मिश्रित मिलों द्वारा संसाधित शोडी यार्न से बने ऐसे ही अन्य कम्बलों पर लगने वाले शुल्क में लगभग 7 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। यदि ऐसे शोडी कम्बल के स्वाधीन संसाधनों द्वारा संसाधित किए जाएंगे तो उन पर शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। इस प्रस्ताव से एक पूरे वर्ष में 1 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

108. एक अन्य उद्योग जिस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, वह कागज उद्योग है। यह उद्योग कच्ची सामग्री और अन्य निविष्टियों की बढ़ती हुई लागत के कारण एक कठिन दौर से गुजर रहा है। मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य कागज और गत्ते (पेपर बोर्ड) के उत्पादन को प्रोत्साहन देना और दुर्लभ प्राकृतिक वन्य साधनों की रक्षा करना है। मैं कागज बनाने के लिए लकड़ी की खपच्चियों और लकड़ी की लुगदी के आयात पर सीमा-शुल्क से प्रस्तावित छूट का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। राहत देने के एक और उपाय के रूप में, मैं छपाई तथा लिखाई के कागज और कागज की बड़ी मिलों द्वारा उत्पादित क्राफ्ट पेपर पर भी बुनियादी उत्पाद-शुल्क में 425 रुपए प्रति मेट्रिक टन की कमी करने का प्रस्ताव करता हूं; और ऐसे कागज पर लगने वाले शुल्क में तदनुरूप रियायत दी जाएगी यदि उसको बनाने में अपरम्परागत कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया होगा। इसी के साथ ही, अनुज्ञेय अपरंपरागत कच्ची सामग्रियों की श्रेणी का भी विस्तार किया जा रहा है।

109. इस समय गत्ते के मामले में अपरंपरागत कच्ची सामग्री के इस्तेमाल के लिए कोई रियायत उपलब्ध नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम से कम 50 प्रतिशत अपरंपरागत कच्ची सामग्रियों से बने गत्तों पर लगने वाले बुनियादी उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत **मूल्यानुसार**+1430 रुपये प्रति मेट्रिक टन के वर्तमान सामान्य स्तर से घटाकर 560 रुपये. 900 रु०अथवा 1120 रुपए प्रति मेट्रिक टन कर दिया जाए जो इस बात पर निर्भर करे कि ऐसी कागज की मिलों से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कागज और गत्ते की निकासी क्रमशः 3,000 मेट्रिक टन, 7,500 मेट्रिक टन अथवा 16,500 मेट्रिक टन से अधिक नहीं हुई थी। अपरंपरागत कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल करने वाली बड़ी कागज मिलों के लिए गत्ते पर लगने वाले बुनियादी उत्पाद-शुल्क की दर को घटाकर 7 प्रतिशत **मूल्यानुसार** + 925 रुपये प्रति मेट्रिक टन किया जा रहा है।

110. कागज उद्योग से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों से उत्पाद-शुल्कों में एक पूरे वर्ष में 33 करोड़ रुपये की हानि होगी। लकड़ी की खपच्चियों और लकड़ी की लुगदी के आयात पर प्रस्तावित सीमा-

शुल्क संबंधी छूटों के साथ मिलकर इन प्रस्तावों से, आशा है, स्वदेशी कागज उद्योग के विकास को यथेष्ट राजकोषीय समर्थन मिलेगा और उचित कीमतों पर कागजों की उपलब्धता बढ़ेगी।

111. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में, अक्तूबर, 1983 में कुछ समय-बद्ध रियायतें दी गई थीं। उस उपाय के प्रति, जो वृद्धिशील मांग को पैदा करके उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, उद्योग की प्रतिक्रिया को देखते हुए, मैं इस रियायत को, कुछ परिवर्तनों के साथ, एक वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

112. वाणिज्यक वाहनों और तीन एक्सल वाले वाहनों के मामलों में, रियायत को जारी तो रखा जाएगा, लेकिन अक्टूबर, 1983 में शुल्क में दी गई रियायत की मात्रा में 2½ प्रतिशांशों की कमी की जा रही है। मैं कुछ हल्के वाणिज्यिक वाहनों के माडलों को छूट के व्याप्ति-क्षेत्र से हटाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि उत्पाद-शुल्क की दर के मामले में ऐसे वाहनों के सभी माडलों में समानता आ जाए। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 45 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

113. मैं रेफ्रिजिरेटरों, डीप फ्रीजरों और प्रशीतक उपसाधनों के हिस्सों आदि, स्टोरेज बेटरियों और घरेलू बिजली के उपसाधनों के मामले में, दी गई रियायतों को आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। इन सब मदों के कारण राजस्व में कुल मिलाकर कोई 19 करोड़ रुपए की हानि होगी।

114. बसों तथा ट्रकों के टायरों और सड़क—भिन्न प्रयोजनों के लिए काम में आने वाले टायरों के मामले में, अक्तूबर, 1983 में दी गई रियायत को जारी रखने का मेरा विचार नहीं है। क्योंकि इस उद्योग द्वारा घोषित मूल्य-वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए इस रियायत को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी, शुल्क पद्धति को युक्तिसंगत बनाने के एक उपाय के रूप में और कर-अपवंचन की गुंजाइश को कम करने के विचार से मेरा मूल्यानुसार शुल्क दरों के स्थान पर अधिकांशतः मात्रानुसार शुल्क दरें अपनाने का प्रस्ताव है।

115. चीनी मिट्टी और पोर्सिलेन के बने खाने-पीने के बर्तनों (टेबलवेयर) के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से गतिरोध के आसार दिखाई दे रहे हैं और उद्योग की क्षमता के उपयोग में कमी हो रही है। इस उद्योग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, मैं इन मदों पर लगने वाली बुनियादी उत्पाद शुल्क की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे राजस्व में 1.5 करोड़ रुपये की हानि होगी।

116. गर्मी का मौसम ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों के मिजाज को ठंडा रखने में उनकी सहायता करना चाहूंगा। मैं टेबल फैनों ने मामले में बुनियादी उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और उन सीलिंग फैनों के मामले में, जिनका व्यास 107 से०मी० से ज्यादा न हो, 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं डेजर्ट कूलरों सहित वाष्पणिक कूलरों पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क की 40 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर को घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इन प्रस्तावों से राजस्व में 5.10 करोड़ रुपए की हानि होगी। मैं आशा करता हूं कि इससे आपकी गर्मी की ऋतु अच्छी कटेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : उस समय तक आप अपने रवैये में ठंडे पड़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सदन के लिए कुछ करने दो।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : ग्रीष्म में चुनाव।

श्री प्रणब मुखर्जी : 117. शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के उपाय के रूप में, मैं आवेष्टन तारों के बुनियादी शुल्क को 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत और ताम्बे की तारों की छड़ों के बुनियादी शुल्क में 1300 रुपये प्रति मैट्रिक टन की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। कुल मिलाकर, इन परिवर्तनों से राजस्व में न तो हानि होगी और न ही लाभ।

118. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को याद होगा, बहुत से विख्यात कलाकारों ने एक अपील प्रकाशित की थी जिसमें कला की चोरी (पाइरेशी) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। चूंकि मैं इन प्रतिष्ठित कलाकारों की उपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मैं आवाज भरे कैसेटों को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण रूप से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इस मद पर हुई राजस्व हानि मेग्नेटिक टेपों पर सीमा-शुल्क में की गई वृद्धि से लगभग पूरी हो जाने की आशा है।

119. राहत के एक सामान्य उपाय के रूप में मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के एककों द्वारा निर्मित लांडरी साबुन को पूर्णरूप से उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं और नकली आभूषणों, स्टेनलैस स्टील के बर्तनों, लालटेनों की कांच की चिमनियों, उच्च कुशलता वाले लकड़ी के स्टोवों, छतरियों और सेक्रीन जैसी आम उपभोग की कतिपय मदों पर उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इन रियायतों से 1.13 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

120. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए गत दो वर्षों से एक उत्पाद-शुल्क राहत योजना लागू है। मैं इस योजना को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

121. सम्मानित सदस्यों को यह भी याद होगा कि पिछले बजट में, मैंने लोहे और इस्पात की मदों से सम्बन्धित टेरिफ को युक्तिसंगत बनाया था। इस वर्ष मैंने अलौह धातुओं के मामले में ऐसा ही करने का प्रयत्न किया है। टेरिफ की प्रविष्टियों को अधिक वैज्ञानिक आधार पर संशोधित किया जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति इन परिवर्तनों को भी किसी बाद की तारीख से लागू किया जाएगा। तब तक शुल्क की मौजूदा प्रभावी दरें लागू रहेंगी।

122. मैं सिगरेटों पर अरिरिक्त उत्पाद-शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पाइप की तम्बाकू के बारे में क्या है?

श्री प्रणब मुखर्जी : बुनियादी उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के बीच के मौजूदा अनुपात को संशोधित करके उसे 1.75 :1 बनाया जा रहा है। इस उपाय के परिणामस्वरूप आगामी वित्त वर्ष में बुनियादी उत्पाद-शुल्क खाते से अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क खाते में 42.89 करोड़ रुपये अन्तरित हो जाएंगे और इस प्रकार राज्यों को प्राप्त होने वाली राशि में वृद्धि हो जाएगी। बुनियादी उत्पाद-शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित राशि में उतनी ही कमी हो जाएगी। सिगरेटों पर उत्पाद-शुल्कों के कुल भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। (**व्यवधान**) चिन्ता मत कीजिए।

123. कुछ अन्य छोटे-मोटे प्रस्ताव भी हैं जिनका राजस्व की दृष्टि से कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इनमें, कुछ मामलों में उत्पाद-शुल्कों में पुनः समायोजन करना और कुछ उन टैरिफ मदों को सूची से हटाना शामिल है जिन्हें काफी समय से पूर्णतः छूट प्राप्त है।

124. आय-कर अपील अधिकरण तथा सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क तथा स्वर्ण (नियन्त्रण) अपील अधिकरण के कार्यचालन में प्राप्त हुए अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए, इनसे संबंधित कानूनों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। ये संशोधन मुख्यतः प्रसासनिक स्वरूप के हैं मैं इन प्रस्तावों का वर्णन करके सदन का समय नहीं लेना चाहता।

125. अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त राजस्व में, जो 1953-54 में लगभग 100 करोड़ रुपए था, असाधारण वृद्धि हुई है और यह बढ़ कर 1983-84 में 10,100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, और इसके साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ में भी काफी वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है, जब टेरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए, जिसमें पिछले तीन दशकों में बहुत वृद्धि हुई है, इसकी व्यापक रूप से समीक्षा की जाए। इसके लिए व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होगी जिसे केवल कोई तकनीकी अध्ययन दल ही अच्छी तरह से कर सकता है। अतः मैं एक दल के गठन का प्रस्ताव करता हूं।

126. मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उनसे सीमा-शुल्कों के रूप में 465.41 करोड़ रुपये और उत्पाद शुल्कों के रूप में 33.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। बुनियादी शुल्क खाते से अतिरिक्त शुल्क (बिक्री-कर के बदले) खाते में 43.64 करोड़ रुपये का अन्तरण होगा। सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत कुल मिला कर 7.26 करोड़ रुपये की रियायतें और राहतें और उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 222.43 करोड़ रुपए की रियायतें और राहतें दी गई हैं। सीमा-शुल्कों से 458.15 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी। उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 189.33 करोड़ रुपये की निवल हानि होगी, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 148.95 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 40.38 करोड़ रुपये होगा। इसमें बिक्री-कर के ऐवज में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों में राज्यों के 52.31 करोड़ रुपए के हिस्से को भी हिसाब में ले लिया गया है। इन अतिरिक्त कर प्रयत्नों से केन्द्रीय सरकार को पूरे वर्ष में 309.20 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

127. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों में किए गए परिवर्तनों को पहली मार्च, 1984 से प्रभावी बनाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां सभा पटल पर यथासमय रख दी जाएंगी।

128. मैं पहले बता चुका हूं कि कराधान की मौजूदा दरों पर बजट में 2,035 करोड़ रुपये का घाटा होगा। अब प्रस्तावित कर उपायों और राहतों तथा रियायतों के फलस्वरूप केन्द्र को 272,88 करोड़ रुपये का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इससे 1,762 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा यह प्रयत्न रहा है कि बजटीय घाटे को अपेक्षाकृत कम रखा जाए और मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इतना घाटा हमारी परिस्थितियों के अनुसार उचित ही है। मुझे आशा है कि इस कम घाटे तथा उत्पादन को बढ़ाने और कीमतों को कम करने के मेरे प्रस्तावों का अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह श्लोक उद्धृत करना चाहूंगा--

एवं कुर्यात्समुदयं वृद्धिं चायस्य दर्शयेत्।
ह्रासं व्ययस्य च प्राज्ञः साधयेच्च विपर्ययम्॥

129. चार वर्ष पूर्व, मुझसे पिछले सुप्रतिष्ठित वित्त मन्त्री महोदय ने इस सरकार का पहला बजट पेश करते समय देश की अर्थव्यवस्था को पहुंची क्षति को दूर करने और उसे स्थिरता, विकास और

सामाजिक न्याय के मार्ग पर पुनः प्रतिष्ठापित करने के हमारे दृढ़ निश्चय का उल्लेख किया था। अध्यक्ष महोदय, हमने उस वचन का पालन किया है।

130. महोदय, मैं यह बजट सदन को प्रस्तुत करता हूं।

18.29

वित्त विधेयक

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। माननीय मन्त्री महोदय अब विधेयक पुरःस्थापित करें।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक पुरःस्थापित कर दिया गया है।

अब सभा 1 मार्च, 1984 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.30 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 1 मार्च, 1984/11 फाल्गुन, 1905 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित

P.L.S.—48/44/5/84 (एन०)

210

© 1984 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण)
के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स,
के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित